

श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र० ।

श्री वीरेंद्र कुमार मिश्र
द्वारा आज दि. 22-6-16 को
प्रस्तुत 22-6-16
केसक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

संग-1980-II-16

1- शेषमीणि कुमवाहा तनय श्री रामस्वरम कुमवाहा निवासी चौका सोनवर्षा
तहसील मउमंज जिला रीवा म०प्र० वर्तमान निर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत
देवतालाब न०पं० मउमंज जिला रीवा म०प्र०

----- अपीलान्ट ।

बनाम

1- दिनेश कुमार गुप्ता तनय स्वर्गीय रामसुदर्शन गुप्ता निवासी लौर हाल
पता चौका सोनवर्षा तहसील मउमंज जिला रीवा म०प्र०

----- रेषपाठ ।

अपील विरुद्ध आदेश अपर कमि०रीवा के निग०प्र० ^{54/अन.} निग०
15-16, आ०दि० 24-05-16 .

अपील अन्तर्गत धारा 36॥ 3॥ पंचायत राज
अधिनियम 19५२ के अन्तर्गत

धारा 91॥5॥ पंचायत राज अधिनियम 1993.

मान्यवर,

अपील का संक्षिप्त विवरण निम्न है :-

1- यह कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत देवतालाब न०पं० मउमंज तहसील
मउमंज जिला रीवा म०प्र० का वर्ष 2014-15 में म०प्र० शासन पंचायत एवं
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिसूचना के तारतम्य में निर्वाचन आयोग द्वारा
रीवा जिला में होने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव में अर्थी के रम में नाम

शेषमीणि कुमवाहा


क्र० ---

22-6-16

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग० 1980/दो/16

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.01.18	<p>आवेदक की ओर से श्री आर.एस०सेंगर, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री आई०पी० द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा उपस्थित होकर तर्क दिया गया कि उक्त प्रकरण पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत है तथा प्रकरण में आवेदक की मृत्यु हो गई है, जो सरपंच के पद पर पूर्व में पदस्थ था।</p> <p>अतः प्रकरण में आवेदक की मृत्यु होने तथा राजस्व मण्डल को क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अभिलेख सहित अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।</p>	<p style="text-align: center;"> सदस्य</p>